राजस्थान राज–पत्र RJ Bill/2000/1717
विशेषांक Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
अग्रहायण 22, गुरूवारे, शाके 1923– दिसम्बर 13, 2001
Agrahayana 22, Thursday, Saka 1923- December 13, 2001

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)
अधिसूचना
जयपुर, दिसम्बर 13, 2001

संख्या प. 2 (14) विधि/2/2000 – राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001

(2001 का अधिनियम संख्या 8)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 को प्राप्त हुई)

राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत के गणराज्य के बावनवे वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.– (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राजय में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है,

(ii) "सदस्य" से आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है,

(iii) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये "अल्पसंख्यक" से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित कोई समुदाय अभिप्रेत है।

अध्याय – 2

राज्य अल्पसंख्यक आयोग

3. **आयोग का गठन (1)** राज्य सरकार राजस्थान राज्य अल्पसख्ंयक आयोग के नाम से एक निकाय का, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिये गठन करेगी।

(2) आयोग में, विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वार नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अध्यक्ष और चार सदस्य होंगेः

परन्तु अध्यक्ष और कम से कम तीन सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय मे से होगे।

4. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्ते.– (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उसके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारित करेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय, राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अध्यक्ष या, यथास्थिति, सदस्य के पद का त्याग कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति–

(क) अनुमोदित दिवालिया हो जाता है,

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है,

(ग) विकृतचित्त हो जाता है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है,

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने के लिये असमर्थ हो जाता है,

(ड.) आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत लिये बिना आयोग की तीन क्रमवर्ती बैठकों से अनुपस्थित रहता है, या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरूपयोग किया है जिसके कारण उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितो या लोकहित के लिये हानिकारक हो गया हैः

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(4) उप–धारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली कोई रिक्त नये नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तो ऐसी होंगी जो विहित की जाए।

5. सचिव और कर्मचारिवृन्द और उनक वेतन आदि. – (1) राज्य सरकार आयोग के लिये एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिये आवश्यक हो।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जो विहित की जाये।

6. वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदत्त किया जाना.– अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का और प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अन्तर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते है, धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान में से संदाय किया जायेगा।

7. रिक्तियों से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य होगा.– आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जायेगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना.– (1) आयोग का मुख्यालय जयपुर में होगा।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेगे।

अध्याय–3

आयोग के कृत्य

9. आयोग के कृत्य – आयोग निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्ही भी कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:–

(क) राज्य के अधीन के अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना,

(ख) संविधान में संसद् और राज्य विधान–मण्डल द्वारा अनियमित विधियों में अल्पसंख्यकों के लिये उपबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना,

(ग) राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किये जाने के लिये रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिशें करना,

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायों के वंचन से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना और ऐसे मामले राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन के समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना,

(ड.) अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में अध्ययन का उत्तरदायित्व लेना और उनके निराकरण के लिये उपायों की सिफारिश करना,

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षणिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करवाना,

(छ) राज्य सरकार द्वारा हाथ में ली जाने वाली अल्पसंख्यकों की किन्ही भी कल्याण योजनाओं के सम्बन्ध में समुचित उपाय सुझाना,

(ज) राज्य सरकार को कालिक या विशेष रिपोर्टे प्रस्तुत करना,

(झ) ऐसे किसी भी अन्य मामले की जांच–पड़ताल करना जो सरकार, आम जनता, प्रेस द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाये या ऐसे किन्ही भी अधिकारों के अतिलंघन का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जो आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के हित के लिये हानिकर समझा जाये और राज्य सरकार को समुचित उपचारी उपाय सुझाना।

10. आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी.– (1) आयोग को, अपने किन्ही भी कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में

वहीं शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को है, अर्थात् :—

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी भी दस्तावेज को प्रकट और पेश करना की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी भी कार्यालय से किसी भी लेख अभिलेख या उसकी प्रति को अध्यपेक्षा करना,

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजो की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना, और

(च) कोई भी अन्य विषय जो विहत किया जाये।

(2) आयोग के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत साथ ही धारा 196 के प्रयोजन के लिये न्यायिक कार्यवाही समझी जावेगी और आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के समस्त प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

11. **राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श किया जाना.—** राज्य सरकार, समय—समय पर, अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले मुख्य नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श कर सकेगी।

अध्याय—4

वित्त, लेखे और संपरीक्षा

12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान.— (1) राज्य सरकार विधान—मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लिये जाने के लिये आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो राज्य सरकार उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उप—धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान में से संदेय व्यय समझी जायेगी।

13. लेखे और संपरीक्षा.– (1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूपों में तैयार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार, राजस्थान के परामर्श से विहित किये जायें।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तरालां पर की जायेगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में कोई भी व्यय, आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।

(3) महालेखाकार के और उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी भी व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो महालेखाकार के साधारतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में है और उसे विशिष्टतया, बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज–पत्रां के पेश किये जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) आयोग की संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर स्पष्टीकरण के ज्ञापन सहित उसे यथाशक्त शीघ्र राज्य सरकार को प्रस्तु करेगा और राज्य सरकार संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

14. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टे, – (1) आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और ऐसे किसी भी मामले पर, जो उसकी राय में अत्यावश्यक या इतना महत्वपूर्ण हो कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने तक आस्थागित नही ंकिया जाना चाहिए, किसी भी समय विशेष रिपोर्टे प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टे साथ ही, आयोग की सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई का ज्ञापन और सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हों, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोकसेवक होना.— आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब इस अधिनियम के किन्ही भी उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हो या कार्य करने के लिये तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझे जायेंगे।

16. नियम बनाने की शक्ति.— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही भी विषयों के लिये उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते,

(ख) धारा 10 की उप—धारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट कोई भी अन्य विषय,

(ग) वह प्ररूप जिसमें लेखा रखा जायेगा और धारा 13 की उप—धारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा,

(घ) वह प्ररूप जिसमें और वह तारीख जिस तक धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी,

(ड.) कोई भी अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्त शीघ्र, राज्य विधान—मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिये रखे जायेंगे जो एक सत्र या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्य हो सकेगी और यदि ऐसे सत्र जिसमें वे इस प्रकार रखे गये है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान—मण्डल का सदन ऐसे किन्ही नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है, या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो ऐसे नियम तत्पश्चात् ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या

वातिलकरण तदधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

17. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.– (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भत होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और कठिनाई का निराकरण करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

भंवरू खां

शासन सचिव

मुद्रकः राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर/155/2004 फोनः 2751352, 2751417